of Delhi Civil Supplies Corporation and the Naraina Vihar wine shop, if so, what are the details thereof; and

(c) what are the details of brands available along with the quantity thereof with the Delhi Civil Supplies Corporation sponsored shop at Naraina Vihar, New Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir. The Delhi Administration has reported that a telegram was received in March 1991 alleging irregularities in the retail vend of IMFL|Beer at Naraina Vihar being run by the Delhi State Civil Supplies Corporation. It was alleged that the staff posted at the vend was indulging in certain malpractices such as refusal to sell popular brands to the customers, overcharging during peak hours, non-issuance of cash memos, misbehaviour with the customers and availability of spurious liquor at the vend.

(b) Enquiries have been conducted and a show-cause notice issued to Delhi State Civil Supplies Corporation for violation of the Excise Laws.

(c) The stock position of liquor at a particular vend depends upon the supply of brands out of the various brands approved by the Excise Commissioner and the sale pattern determined at that vend by the Ordering Committee of the Corporation.

डाक विभाग द्वारा जारी की गई एक रुपये की डाक टिकटें

1429. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा अप्रैल, 1991 से एक रुपये वाली कितनी डाक टिकटें जारी की गई हैं और उनमें अलग-अलग फोटो वाली कितनी-कितनी डाक टिकटें हैं ;

(ख) क्या डा० भीमराव अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के फोटो वाली डाक टिकटें प्रत्येक डाकघर में उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष में भी प्रत्येक डाकघर में डा० भीमराव अम्बेडकर के फोटो वाली डाक टिकटें उपलब्ध नहीं हैं जबकि महात्मा गांधी के फोटो वाली डाक-टिकटें उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार डा० भीमराव अम्बेडकर की फोटो वाली सामान्य डाक-टिकटों को प्रत्येक डाकघर में उपलब्ध नहीं कराना चाहती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेश पायलट) : (क) विभाग द्वारा अप्रैल, 1991 से एक रुपये मूल्य-वर्ग के सात डाक टिकट जारी किये गए हैं । इन सभी स्मारक डाक टिकटों पर अलग-अलग फोटोग्राफ हैं ।

(ख) और (ग) भीमराव अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम पर जारी किए गए डाक टिकट स्मारक डाक टिकट हैं इसलिए हो सकता है कि ये डाक टिकट नियत डाक टिकटों की तरह प्रत्येक डाकघर में उपलब्ध न हों ।

महात्मा गांधी पर एक रुपये मूल्यवर्ग के डाक टिकट, नियत डाक टिकटों के साथ, विशेष नियत डाक टिकटों के रूप में जारी किए गए हैं, इसलिए वह प्रत्येक डाकघर में उपलब्ध हैं ।

(घ) स्मारक और विशेष डाक टिकट केवल एक बार निश्चित संख्या में छापे जाते हैं और इन्हें फिलैटलिक ब्यूरो/काउंटरों/अधि त डाकघरों द्वारा एक सीमित अवधि तक बेचा जाता है । तथापि,

कुछ स्मारक डाक टिकट यदि स्टाक में बच जाती हैं, तो बाद में नियत डाक टिकटों के साथ, बेची जा सकती हैं। लेकिन आमतौर पर वह एक निश्चित अवधि के बाद उपलब्ध नहीं होतीं। नियत डाक टिकट, विशेष नियत डाक टिकटों सहित लगातार छापी जाती रहती हैं और सभी डाकघरों को उनकी मांग के अनुसार सप्लाई की जाती हैं।

(ङ) फिलहाल डा. अम्बेडकर पर सामान्य (नियत) डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कश्मीर की स्थिति में सुधार किया जाना

1430. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर की स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां के कतिपय नेताओं से, राजनीतिक और आर्थिक योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया है; यदि हां, तो मुख्यतः किन-किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया है;

(ख) उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर कश्मीर और उससे बाहर के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी बीच सरकार ने, विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी और जिला प्रशासन के अन्य पहलुओं में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए परामर्शदात्री ग्रुपों का गठन किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

किलोमीटर स्कीम के अधीन निजी बसों के चलाये जाने से दिल्ली परिवहन निगम को हुआ घाटा

1431. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या जलपतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को किलोमीटर स्कीम के अधीन निजी बसों को चलाये जाने के कारण घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, वर्षवार, उक्त स्कीम के अधीन दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके अधीन दिल्ली परिवहन निगम को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान घाटा उठाना पड़ा है और वित्तीय वर्ष 1990-91 के अन्त में इस तरह का कुल कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने इस विषय पर इस प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित उसका सार क्या है ?

जल-पतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत निजी बसों के प्रचालन को किलोमीटर स्कीम को मार्च, 1988 से बंद कर दिया गया है। इस स्कीम के बंद होने से पूर्व के तीन वर्षों के दौरान किलोमीटर स्कीम के कारण निगम को